भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *99
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के लिए मानसिक तनाव प्रबंधन

***99. डा. अजित माधवराव गोपछड़े :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायाधीशों को कार्यभार के कारण होने वाले संभावित मानसिक तनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सहयोग से न्यायाधीशों के लिए मानसिक तनाव का प्रबंधन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार को ऐसे किन्हीं मामले की जानकारी है जिनमें न्यायाधीशों को आत्महत्या के विचार अथवा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी न्यायिक प्रणाली की सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों का तनावमुक्त रहना आवश्यक है, इस चिंता का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल रख दिया गया है ।

****

'न्यायाधीशों के लिए तनाव प्रबंधन' के संबंध में 13.02.2025 को उत्तर के लिए राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *99 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक शैक्षिक परिषद् (एनजेएसी) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल न्यायपालिका के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करती है जिनमें तनाव प्रबंधन पर विशेषीकृत सत्र भी शामिल हैं । इन कार्यक्रमों में प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्ति और मनोचिकित्सक शामिल हैं, जो न्यायाधीशों को उनकी आवश्यक भूमिकाओं से जुड़े दबावों के प्रबंधन पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे कार्यभार से संबंधित तनाव के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है । इस महत्वपूर्ण मुद्दे के महत्व को समझते हुए, अकादमी इस घटक को अपने विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में शामिल कर रही है । इसके अतिरिक्त, न्यायाधीशों के लिए तनाव प्रबंधन पर अकादमी द्वारा पिछले तीन वर्षों से विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं :

क्र.सं.	**कार्यक्रम संख्या**	**शीर्षक**	**तारीख**
1.	पी-1227	मनोवैज्ञानिक समायोजन और तनाव प्रबंधन पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और अपर जिला न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी	15-16 जनवरी, 2022
2.	पी-1320	मध्यस्थता और तनाव प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	3-4 दिसंबर, 2022
3.	पी-1333	मध्यस्थता और तनाव प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	4-5 मार्च, 2023
4.	पी-1351	तनाव प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	5-6 अगस्त, 2023

(ख) : जी नहीं ।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

****